न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0– 141 R 15/08–09

सोमा उराँव

बनाम

वैदेही देवी

आदेश

11/01/10

यह अपील वाद वि0 वि0 पदाधिकारी, राँची द्वारा SAR वाद सं0–79/89–90 में पारित आदेश दिनांक–30.08.08 के विरूद्ध दायर किया गया। वि0 पदाधिकारी द्वारा धारा–71 A के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया और क्षतिपूर्ति की राशि 16.10.08 को भुगतान की गई। उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्ता को सुना तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया।

इस वाद में वि0 पदाधिकारी का आदेश दिनांक–31.03.94 पारित हुआ था, जिसके विरूद्ध एक अपीलवाद 19 R 15/94–95 उपायुक्त के न्यायालय में दायर किया गया था एवं दूसरा अपील वाद 159 R 15/97–98 अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर की गई थी। उपायुक्त के समक्ष दायर अपीलवाद दिनांक–30.10.96 को अस्वीकृत कर दिया गया और उसके विरूद्ध रिभिजन वाद सं0–527/96 दायर की गई थी, जो दिनांक–13.07.07 को खारिज कर दिया गया था। आयुक्त ने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया है कि बेचना उराँव जो खतियान में बेयानी बकब्जेदार हैं, उनका भूमि पर दावा नहीं बनता है। प्रश्नगत् भूमि रूंगटु मुण्डा पिता [illegible] मुण्डा का है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान सम्मी मुण्डा को की गई है।

इस वाद में सम्मी मुण्डा को पक्षकार नहीं बनाया गया है और इस आधार पर विपक्षी द्वारा अपील खारित करने की प्रार्थना की गई है।

दोनों पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं को सुना। निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। वर्त्तमान अपीलार्थी खतियान के अभियुक्ति कॉलम में दर्ज बकब्जेदार के उत्तराधिकारी है, जिसे उनके अधिवक्ता ने बहस के दौरान स्वीकार करते है। चुँकि आयुक्त,

राँची द्वारा रिभिजन वाद सं0–527/96 में अपीलार्थी के दावे को स्वीकार नहीं किया गया था। इस कारण क्षतिपूर्ति के राशि का भुगतान खतियानी रैयत के हकदार सम्मी मुण्डा को किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैधिक आधार नहीं है।

अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता
राँची

अपर समाहर्ता
राँची

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 15:27:30 +05:30
Location: 192.168.2.175